रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1255]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2019/चैत्र 1, 1941
No. 1255]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 1, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2019

का.आ. 1403(अ).—जबकि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) (जिसे इसके पश्चात 'जेकेएलएफ-वाई' कहा गया है), ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं और जिनमें देश की एकता और अखंडता को भंग करने का सामर्थ्य है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि–

(i) जेकेएलएफ-वाई भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को भंग करने वाली राष्ट्र–विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल है;

(ii) जेकेएलएफ-वाई आतंकवादी संगठनों के निकट सम्पर्क में है और यह जम्मू और कश्मीर तथा अन्यत्र उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है;

(iii) जेकेएलएफ-वाई भारत से एक भूभाग को अलग करने के दावों का समर्थन कर रहा है और इसके लिए उकसा रहा है तथा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने वाली गतिविधियों और कार्यों में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों को समर्थन दे रहा है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि जेकेएलएफ-वाई की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और तत्काल इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसकी संभावना है कि–

(क) यह कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत संघ से एक पृथक राष्ट्र बनाने के प्रयास सहित, अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ाएगा;

(ख) यह भारत संघ के साथ शामिल होने के संबंध में विवाद उत्पन्न करके भारत संघ से जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग करने का समर्थन करता रहेगा;

(ग) यह देश की क्षेत्रीय अखण्डता और सुरक्षा के लिए हानिकारक राष्ट्र–विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करेगा; और

(घ) यह देश में अलगाववादी आन्दोलनों को बढ़ावा देगा, आतंकवाद का समर्थन करेगा और हिंसा को भड़काएगा;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि जेकेएलएफ-वाई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जेकेएलएफ-वाई को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को एक "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 14017/13/2019-एन.आई.-III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2019

S.O. 1403(E).—Whereas the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) (hereinafter referred to as the JKLF-Y), has been indulging in activities, which are prejudicial to internal security and public order, and have the potential of disrupting the unity and integrity of the country;

And whereas, the Central Government is of the opinion that:

(i) JKLF-Y is involved in anti-national and subversive activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

(ii) JKLF-Y is in close touch with militant outfits and is supporting extremism and militancy in Jammu and Kashmir and elsewhere;

(iii) JKLF-Y is supporting and inciting claims for secession of a part of the Indian territory from the Union and supporting terrorist and separatist groups fighting for this purpose by indulging in activities and articulations intended to disrupt the territorial integrity of India;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the JKLF-Y are not curbed and controlled immediately, it is likely to –

(a) escalate its subversive activities including attempt to carve out a separate State out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;

(b) continue advocating the secession of the State of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing the accession of the State with the Union;

(c) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the territorial integrity and security of the country; and

(d) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the JKLF-Y, it is necessary to declare the JKLF-Y to be an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/13/2019-NI-III]

S. C. L. Das, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.22 18:45:51 +05'30'